तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज बनवारी बनाम प्रकाश वगै0 अपील सं0 42/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.08.2021	उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित। विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। विद्वान अपीलांट एड0 ने बहस अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र में अपील के वर्णित तथ्यों को दौराते हुए बताया कि दिनांक 19.07.2021 को विवादित खसरान 652/2, 653/1, 653/6, 655/3, 656/3, 658/1, 653/4, 652/3, 653/2, 653/3, 655/1, 656/1 व 657 कुल किता 13 कुल रकबा 2.59 है0 के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश उपजिला कलेक्टर नादौती द्वारा दिये गये थे व आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.10.2021 दी गयी थी। दिनांक 30.07.2021 को शीघ्र सुनवायी का प्रार्थना पत्र गैरसायल सं0 02 द्वारा लगाकर सायल के अधिवक्ता को सुना नहीं जाकर खाता सं0 99 की भूमि को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन मुक्त कर दिया। यह आदेश अविधिक है जिसे निरस्त किया जावें। जवाब में केवियट कर्ता के अभिभाषक का कथन है कि टी.आई. का जवाब दिनांक 30.07.2021 को पेश किया है। उसी दिन उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद खाता सं. 99 अलग होने के कारण इसे स्थगन से मुक्त कर दिया। इस आराजी पर अपीलांट का कोई हक नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उचित है। अतः अपील खारिज फरमायी जावें। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील दिनांक 30.07.2021 के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गयी है। जमाबंदी सं. 2076-79 वाके ग्राम गिदानी तहसील नादौती के खाता सं. 99 के अनुसार आराजी ख.नं. [illegible]3, [illegible]3/2, 653/3, 655/1, 656/1 व 657 रामसिंह पुत्र रामपाल हि0 1/2 भरोसी पुत्र रामपाल हि0 1/2 दर्ज है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2021 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। चूंकी यह अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध की गयी है अतः अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर नादौती को निर्देशित किया जाता है कि	

6-8-21

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 68/21 उनवानी बनवारी बनाम प्रकाश वगै0 में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये यथासंभव प्रकरण का निस्तारण एक माह में करें। पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.8.21

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner